NA II/III

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2012/वैशाख 31, 1934

No. 225] NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2012/VAISAKHA 31, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नौएडा, 15 मई, 2012

सा.का.नि. 376(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, सहायक दीपपाल (ज्येष्ठ वेतनमान) और सहायक दीपपाल (कनिष्ठ वेतनमान) समूह "ग" (अराजपत्रित, दीपस्तंभ कार्मिक), भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में नौचालन सहायक ग्रेड-2 और नौचालन सहायक ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नौचालन सहायक ग्रेड-2 और नौचालन सहायक ग्रेड-3 समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू.**—ये नियम, इन नियमों की संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 नौचालन सहायक, ग्रेड –2	* 16* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1 5200 – 20200 रु + ग्रेड वेतन 2800 रु	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (समय– समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1.– आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2.– रोजगार कार्यालय से प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने के लिए अवधारित की गई है।	(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रोनिक्स अथवा टैलिकोम्यूनिकेशन अथवा इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन अथवा इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा। (ii) वायरलैस कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में (वायरलैस ट्रांसमीटर और रिसिवर्स के संस्थापन और अनुरक्षण सहित) अथवा नौचालन सहायता (नौचालन में दृष्टिक एवं रेडियो सहायता सहित), ऑटोमैटिक रिले पद्धति अथवा डीज़ल जनरेटर सैट के व्यवहारिक क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :- नौचालन सहायक ग्रेड –3 में पांच वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पण 1.– जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। टिप्पण 2.– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशें पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तार होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :- (1) ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत – अध्यक्ष ; (2) ज्येष्ठतम निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – सदस्य ; (3) अवर सचिव (एस0एल0), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. नौचालन सहायक, ग्रेड –3	* 83 (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड –1 5200 – 20200 रु + ग्रेड वेतन 2400 रु	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (समय– समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1.– आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुरम, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2.– रोजगार कार्यालय से प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने के लिए अवधारित की गई है।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रोनिक्स अथवा टेलिकम्यूनिकेशन अथवा इलैक्ट्रोनिक्स और कम्यूनिकेशन अथवा इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :– 5200 – 20200 रु के वेतन बैंड –1 में 1800 रु के ग्रेड वेतन में ऐसा दीपस्तंभ परिचर जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और इलैक्ट्रीशियन अथवा इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक अथवा रेडियो और टेलिविजिन मेकेनिक के ट्रेड में आई टी आई उत्तीर्ण की अर्हता रखता हो। टिप्पण 1.– जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यकितयों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यकितयों के संबंध में में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। टिप्पण 2.– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशें पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की नई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तार होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :– (1) ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत – अध्यक्ष ; (2) ज्येष्ठतम निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – सदस्य ; (3) अवर सचिव (एस०एल०), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य ।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 3/7/2011-प्रशा.-I]

कैप्टन ए.एम. सूरज, महानिदेशक दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

(DIRECTORATE-GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

Nodia, the 15th May, 2012

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Lighthouses and Lightships Assistant Lightkeeper (Senior Scale) and Assistant Lightkeeper (Junior Scale), Group 'C' (Non-Gazetted, Lighthouse Personnel) Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Navigational Assistant, Grade-II and Navigational Assistant Grade-III, in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Navigational Assistant, Grade-II and Navigational Assistant Grade-III, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in those rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Navigational Assistant, Grade-II.	* 161 (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band - 1 ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 2800.	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2.- The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(i) Diploma in Electronics or Telecommunication or Electronics and Communication or Electrical and Electronics from a institution recognised by Central Government or State Government. (ii) one year's practical experience in the field of wireless communication (including installation and maintenance of wireless transmitters and receivers) or Aids to Navigation (including visual and Radio Aids to Navigation), automatic relay systems or diesel generator sets.

1802 GI/12-3

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No.	Two years for direct recruit.	(i) Fifty per cent. by promotion failing which by direct recruitment and; (ii) fifty per cent. by direct recruitment.	Promotion: - Navigational Assistant Grade-III with five years regular service. Note 1.- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade	Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) comprising of:- (1) Seniormost Deputy Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman; (2) Seniormost Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member; (3) Under Secretary (SL), Ministry of Shipping - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Navigational Assistant, Grade-III	* 83 (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band -1 ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 2400.	Non-selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland. Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2.- The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Diploma in Electronics or Telecommunication or Electronics and Communication or Electrical and Electronics from a institution recognised by Central Government or State Government.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No.	Two years for direct recruit.	(i) Seventy-five per cent. by direct recruitment; and (ii) twenty-five per cent. by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion.- Lighthouse Attendant with ten years regular service in the pay band-1 ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 1800 and possessing the qualification of ITI pass from the trade of Electrician or Electronics Mechanic or Radio and Television mechanic. Note 1.- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) comprising of: (1) Seniormost Deputy Director General of Lighthouses and Lightships – Chairman; (2) Seniormost Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member; (3) Under Secretary (SL), Ministry of Shipping - Member.	Not applicable.

[F. No. 3/7/2011-Admn.-I]

Capt. A.M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.